समाहरणालय, मुज़फ्फरपुर

ई-मेल – dm-muzaffarpur.bih@nic.in वेबसाइट - muzaffarpur.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स – 0621-2223010

पत्रांक - 758 (जिला निर्वाचन शाखा) दिनांक - 14.3.19

संयुक्त आदेश

लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर आम सभा, रैली, जुलूस, चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर/वाहन के उपयोग तथा गैरवाणिज्यक/दूरस्थ/हवाई अड्डा/हेलीपैड उपयोग के लिए एकल खिड़की व्यवस्था (Single window System) के माध्यम से अनुमति/अनापत्ति दिये जाने से संबंधित कोषांग का गठन करते हुए पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों आदि की निम्न प्रकार से प्रतिनियुक्ति की जाती है :–

क्र०	कोषांग का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सं० एवं नाम	अनुमति निर्गत किये जाने हेतु प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी	पुलिस के नोडल पदाधिकारी	कोषांग में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल नं०	तकनीकी पदाधिकारी एवं सहयोगी पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल नं0	प्राप्त आवेदन का प्रकार	कार्य का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Single window/ सुविधा कोषांग	15–मुजफ्फरपुर।	श्री कुदन कुमार अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर।	श्री मुकुल कुमार रंजन, पुलिस उपाधीक्षक, नगर, मुजफ्फरपुर।	1 श्री अरूण कुमार सिंह अवर निरीक्षक पुलिस केन्द्र मुजफ्फरपुर मो०– 8863881167 2 पु0 नि0 श्रीमती निरू कुमारी, मीनापुर अंचल, मो0–9431662343 3 पु0 नि0 दिनेश कुमार, थानाध्यक्ष मीनापुर, मो0–7549210013 4 पु0नि0, मो0 शाहिद हुसैन, कटरा अंचल, मो0–9430918650 5. पु0नि0, अभिनन्दन मंडल, सकरा अंचल, मो0–9939627871	1 श्री प्रवीन कुमार झा, सहायक जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी मुजफ्फरपुर	1.सभा रैली/रोड शो आदि 2लाउडस्पीकर 3.वाहन 4.हेलीकॉप्टर 5.पार्टी कार्यालय	1.सभा/रैली/रोड भो, नुक्कड़ नाटक, लाउडस्पीकर/व हेलीकॉप्टर से संबंधित विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन को पंजी में संधारित करना। 2. आवेदन के प्राप्ति के साथ ही पंजी संधारित करते हुए अविलम्ब सक्षम प्राधिकार को अनापत्ति हेतु भेजना अनुमति/अनापत्ति प्राप्त कर 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराना।
2		16 –वैशाली	श्री अनील कुमार दास अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर।	श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद, पुलिस उपधीक्षक, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर।	1. श्री नरसिंह सिंह अवर निरीक्षक पुलिस केन्द्र मुजफ्फरपुर मो०– 7764891299 2. पु0नि0, शिवनारायण राम, मोतीपुर अंचल प्रभार, मो0–7250438906 3 पु0नि0, अनिल कुमार, थानाध्यक्ष, कॉटी, मों0–8935846164 4 पु0नि0, शिवनारायण राम, सदर ए अंचल, मो0–7739590398 5 पु0नि0, धनंजय कुमार, पारू अंचल, मो0–7979836554	2 श्री परवीन कुमार सिंह, आई0टी0 मैनेजर, मुजफ्फरपुर।		

15–मुजफ्फरपुर एवं 16–वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निम्न प्रकार कम्प्यूटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति की जाती है :–

15 –मुजफ्फरपुर।

1. अनिश कुमार, कार्यपालक सहायक, अनुमंडल, पूर्वी, मुजफ्फरपुर (मो0 9304751371) 2. श्री रौशन कुमार, कार्यपालक सहायक, (मो0 –9835604907)

16–वैशाली

1. श्री सौरभ कुमार ,कार्यपालक सहायक, (मो0 –74884485), मुजफ्फरपुर। 2. श्री विनोद कुमार आशुटंकक, प्रतिनियुक्त अनुमंडल पूर्वी, मुजफ्फरपुर।

इस क्रम में On Line आवेदन पत्र भी प्राप्त हो सकते हैं। एकल खिड़की पद्धति(Sinlge Woindow System)में आवश्यकतानुसार अन्य पदाधिकारियों/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति नोडल पदाधिकारी के अधियाचना पर कार्मिक कोषांग द्वारा की जायेगी।

DESH KA MAHA त्योहार

किसी भी स्तर से प्राप्त आवेदन पत्र नियमों के अधीन, है तो उसकी स्वीकृति/अनुमोदन 24 घंटे के अंदर "पहले आओ पहले पाओ" का अनुसरण करते हुए दिया जायेगा। उपरोक्त तरीके से प्राप्त आवेदन पत्र पर निर्गत स्वीकृति पत्र/अनुज्ञप्ति पत्र की प्रति की एक प्रति व्यय अनुश्रवण कोषांग /एक प्रति संबंधित विधान सभा क्षेत्रों के लिये प्रतिनियुक्त सहायक व्यय प्रेक्षक को भी आवेदक के अतिरिक्त भेजी जायेगी। प्रत्येक कार्यक्रम की विडियोग्राफी कराई जायेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अनुमति देने में कोई भेदभाव नहीं किया गया है एवं आचार संहिता का अनुपालन किया गया है।

विभिन्न श्रेणियों के प्रचार–प्रसार हेतु आवेदन पत्र निर्धारित विहित प्रपत्र में हीं आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस हेतु राजनैतिक दलों को विहित प्रपत्र की प्रति उपलब्ध कराई जा रही है। एकल खिड़की (Single Window) पर प्राप्त ऐसे आवेदन पत्रों को "सुविधा **(Suvidha)**"सॉफ्टवेय़र में इन्ट्री किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्र जो ऑन लाईन पद्धति से भी प्राप्त हो सकते है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये कागजातों को भी "सुविधा **(Suvidha)**"सॉफ्टवेयर में इन्ट्री की जानी है। इसी प्रकार ऑन लाईन प्राप्त आवेदन पत्र की Signed Scan प्रति के साथ कागजात संलग्न करना आव यक होगा। निर्गत किये जाने वाले अनुमति पत्र को भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड करना होगा। निर्गत किये गये अनुमति पत्र को जिला के वेबसाईट **muzaffarpur.nic.in** या एकल खिड़की (Single window)से आवेदक प्राप्त कर सकते है।

पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर सुविधा कोषांग में प्रत्येक थाना से कम–से–कम दो चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति करेंगे, जिनका दायित्व होगा कि उक्त थाना/प्रखण्ड/अनुमण्डल कार्यालय से संबंधित आवेदनों को प्रतिदिन थाना/प्रखण्ड/अनुमण्डल कार्यालय ले जाना तथा सक्षम पदाधिकारी की आवश्यक आपत्ति/अनुमति से संबंधित अनुशंसा पत्र वापस लाकर संबंधित कोषांग में उसी दिन जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसके अलावे जिला एकल खिड़की कोषांग का दायित्व निम्न प्रकार होगा :–

1 – **Single Window**/सुविधा काउन्टर का यह दायित्व होगा कि सभा/रैली/रोड शो, नुक्कड़ नाटकक/लाउडस्पीकर/हेलीकॉप्टर लैंडिंग/वाहन/पार्टी कार्यालय आदि से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त होते ही पंजी में संधारित कर 24 घंटे के अन्दर संबंधित सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी से आपत्ति/अनुमति प्राप्त करते हुए आवेदक को 36 घंटे के अन्दर अनुमति प्रदान करेंगे।

2 – सामान्यतः अनुमति हेतु प्राप्त की जाने वाली अनापत्ति निम्न प्रकार से होगी :–

(क) आम सभा हेतु संबंधित थाना, स्थानीय प्राधिकार/भू–स्वामी/विद्यालय/अंचलाधिकारी की अनापत्ति/कार्यपालक अभियंता, भवन/कार्यपालक अभियंता, विद्युत/अग्निशमन पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, भवन की अनापत्ति।

(ख) रैली/रोड शो हेतु संबंधित थाना की अनापत्ति।

(ग) नुक्कड़ नाटक हेतु संबंधित थाना की अनापत्ति।

(घ) लाउडस्पीकर हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी की अनापत्ति।

(ड) प्रचार–प्रसार हेतु वाहन की अनुमति सहायक निर्वाची पदाधिकारी की अनापत्ति/अनुमति।

(च) हेलीकॉप्टर लैंडिंग हेतु संबंधित थाना, स्थानीय प्राधिकार विद्यालय/भू–स्वामी/अंचलाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, विद्युत/फायर ब्रिगेड की अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा अनुमण्डल पदाधिकारी की अनापत्ति/अनुशंसा।

(छ) पार्टी कार्यालय खोलने हेतु भू–स्वामी की अनाापत्ति एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी की अनापत्ति/अनुशंसा।

(ज) अग्निशमन युनिट हेतु अग्निशाम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से अनापत्ति/अनुमति।

प्रभारी पदाधिकारी, Single window/सुविधा कोषांग का यह भी दायित्व होग कि आवेदन प्राप्ति के साथ ही सभी संबंधित सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी को पत्र की प्रति प्राप्त करते हुए उनसे 24 घंटे के अन्दर आपत्ति/अनुमति प्राप्त कर लें। सुविधा कोषांग में प्रतिनियुक्त विभागीय पदाधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे आवेदन पत्र प्राप्ति के साथ ही विभागीय नियमें के आलोक में आवेदनों की जाँच कर अनुमति के संबंध में स्पष्ट अनुशंसा सुविधा कोषांग को उसी दिन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दें। अनुमति के निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है :–

- अनुमति हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में आयोग द्वारा निर्धारित अनुसूची–16 के अनुरुप व्यय विवरणी के प्रपत्र सहित कम–से–कम 48 घंटे पूर्व संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- आवेदन की तिथि के 07 दिनों के अन्दर (आवेदन की तिथि को छोड़कर) होने वाले सभा/रैली/जुलूस इत्यादि के लिए ही आवेदन अनुमान्य होगा।
- एक से अधिक आयोजनों के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र देना होगा।

- यदि कोई आयोजन लोक सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक से अधिक जिलों में पड़ता है तो संबंधित जिला के प्रभारी पदाधिकारी/सुविधा के समक्ष अलग आवेदन देना होगा।
- आवेदक को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर अनुमति प्रदान की जायेगी।
- गैर वाणिज्यिक/दूरस्थ/हवाई अड्डा/हेलीपैड के उपयोग के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष हेलीकॉप्टर उतारने से कम–से–कम 24 घंटे पूर्व देना होगा, जिसमें यात्रा विवरणी, हेलीकॉप्टर उतारने का स्थान तथा हेलीकॉप्टर में यात्रा करने वाले व्यक्तियों का नाम दर्ज होगा।
- ज्ञातव्य है कि यह सुविधा पूर्व की व्यवस्था के अतिरिक्त होगी। अनुमति प्राप्त करने के पूर्व की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

जिले में लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रवार अनुमति दिए जाने के लिए एकल खिड़की का स्थान निम्नवत रहेगा :–

निर्वाचन क्षेत्र संख्या	एकल विन्डो के लिए प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी का पदनाम	एकल विन्डों का कार्य स्थल
15– मुजफ्फरपुर लोक सभा	अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी	अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी का कार्यालय
16– वैशाली लोक सभा	अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी	अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम का कार्यालय

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से कार्यालय में कार्यरत कोषांग के लिए कम्पयूटर/प्रिन्टर/इन्टरनेट/फोटो कॉपी आदि सभी व्यवस्था अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगें। इस पर हुए व्यय का वहन निर्वाचन मद से उन्हें उपलब्ध कराये जाने वाले आवंटन से किया जायेगा।

हैलीपैड/हैलिकॉप्टर की अनुमति तथा राजनितिक दलों के अध्यक्ष/सचिव को वाहन की अनुमति जिला पदाधिकारी द्वारा दिया जाना है जिसके लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को अनुमति निर्गत करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है। यह अनुमति उनके द्वारा दी जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी उक्त अनुमति से पूर्व अधोहस्ताक्षरी का अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।

अतः सभी संबंधित को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित निदेशों एवं विभागीय पत्रांक 1390, दिनांक 13.03.2019 में वर्णित निदेश के अनुसार (जो सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है) निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदनों के आलोक में अनुमति देना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

14/3/2019 — 14/03/19 — 14/3/19

निर्वाची पदाधिकारी
15–मुजफ्फरपुर
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र।

वरीय पुलिस अधीक्षक,
मुजफ्फरपुर।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 758 **/निर्वा०, मुजफ्फरपुर, दिनांक** 14/3/19

प्रतिलिपि – अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि – पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि – सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर/पुलिस उपाधीक्षक, नगर एवं पश्चिमी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल/पी0एच0डी0/विद्युत/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी थाना अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि – सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव, मुजफ्फरपुर जिला/सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/2019 — 14/03/19 — 14/3/19

निर्वाची पदाधिकारी
15–मुजफ्फरपुर
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र।

वरीय पुलिस अधीक्षक,
मुजफ्फरपुर।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।